(II/1450/ss/har)

1451 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifty-one minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos. 18 to 21 will be taken up together. The time allotted is two hours. Shri Girdhari Lal Bhargava.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS THIRD ORDINANCE, 1996

BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS BILL

STATUTORY RESOLUTION RE: BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS THIRD ORDINANCE, 1996 AND BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS BILL

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बिल जो भवन अध्यादेश के बारे में और राज्य सरकारों द्वारा उपकर लगाए जाने के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं उन दोनों को माननीय मंत्री जी मूव करना चाहता हूं और उन दोनों प्रस्तावों को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 25) का निरनुमोदन करती है।"

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): Sir, I beg to move:

"That the Bill to regulate the employment and conditions of service of building and other construction workers and to provide for their safety, health and welfare measures and for other matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 26) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दो बार बोलने का अधिकार बनता था। एक बार बिल्डिंग और भवन निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों के बारे में और एक बार राज्य सरकार इसमें उपकर लगा सके, इसके बारे में। हमने अपनी बात अलग-अलग बड़े जोर-शोर से रखी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार ही बोल लीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां, अब तो मजबूरी में एक बार ही बोलना पड़ेगा। इस वोटिंग के कारण मेरा दो बार बोलने का अधिकार एक बार बोलने का ही रह गया है। इसलिए अब मुझे दोनों बिलों पर एक बार ही बोलना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि...

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मूव तो करिये, इस के बाद आपने बोलना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने मूव कर दिया है। मंत्री जी, आपने जो कुछ करना है पहले आप कर लीजिए

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on the cost of construction incurred by employers with a view to augmenting the resources of the Building and Other Construction Workers' Welfare Boards constituted under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

"That this House disapproves of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Third Ordinance, 1996 (Nos. 25 of 1996) promulgated by the President on 20 June, 1996."

"That the Bill to regulate the employment and conditions of service of building and other construction workers and to provide for their safety, health and welfare measures and for other matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

" That this House disapproves of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Third Ordinance, 1996 (Nos. 26 of 1996) promulgated by the President on 20 June, 1996."

"That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on the cost of construction incurred by employers with a view to augmenting the resources of the Building and Other Construction Workers' Welfare Boards constituted under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, be taken into consideration."

— — —

1454 hours

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर, बिल्डिंग और भवन निर्माण उद्योग मे 85 लाख मिलियन से अधिक कर्मचारी नियोजित है। ये मजदूर असंगठित कर्मचारी है क्योंकि आप जानते ही है कि एक परियोजना मे काम समाप्त हो जाने के बाद काम की तलाश मे उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इस बिल के जरिये आपने जितना इन मजदूरों को लाभ देना था उतना लाभ आपने नही दिया। यह मेरा आप पर साफ-साफ आरोप समझ लीजिए, अनुरोध समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए।

(mm/1455/am-ru)

आप यह बिल मजदूरो के हित मे तो ला रहे हैं लेकिन अपूर्ण रूप से ला रहे है। आप यह विचार कर ले। अभी बहुत समय बाकी है। अभी सरकार हिली नही है, अभी आप एक है, अभी आपने 100 वोट इकट्ठे किए है। आप जल्दी मत करिए। मेरा निवेदन है कि आप इसे ठीक प्रकार से लाइए। सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने की दृष्टि से भूतल परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, रेल और वित्त मंत्रालय से विचार करना चाहिए था। केरल और तमिलनाडु में भवन निर्माण कर्मकारों के लिए कुछ कल्याण योजनाएं चल रहे है। आप अगर उनका भी समावेश कर लेते तो अच्छा होता। आप पता नही किस प्रदेश से है। लगते तो केरल से है। केरल और तमिलनाडु मे भवन निर्माण के काम मे लगे मजदूरो की भलाई के लिए कानून बना हुआ है और वहां कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं। आप उनको यदि पढ़ लेते और ले आते तो मेरी मान्यता है कि आपका यह बिल बहुत अच्छा बन जाता, लेकिन आपने इन सब पर कोई विचार नहीं किया। आपको आगे का डर लग रहा था। आपने अपने घोषणा-पत्र में कह दिया, इसलिए इसे जल्दी-जल्दी मे ले आए। इस भय के कारण कि लोक सभा के चुनाव अगले महीने ही न हो जाएं, मैंने अपना पहचान-पत्र नहीं बनाया और मकान भी दूसरा नहीं लिया। लोग मुझ से कहते है कि मकान तो ले लो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोक सभा के चुनाव जल्दी होने वाले है। आप इसको जल्दी-जल्दी में ले आये। आप कुछ कल्याणकारी काम करना चाहते है जिससे चुनावो मे आपको लाभ हो जाए लेकिन ऐसा होगा नही। दो सारी बाते करने के बाद आपने श्रम मंत्रियो का सम्मेलन बुलाया और कह दिया इस अध्यादेश के द्वारा सैस लगा देंगे। सैस कौन लगाएगा? वह राज्य सरकारे इकट्ठा करेगी और लगाएंगी।

जैसा कि फर्नान्डीज साहब कह रहे थे कि वह पैसा कनसॉलिडेट फंड मे चला जाएगा और भारत सरकार एक बिल संसद मे लाकर राज्य सरकारों को सैस की रकम देगी और वह भी एक परसैंट से ज्यादा नहीं होगा। राज्य सरकार को एक परसैंट से ज्यादा रकम

नहीं मिलेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि इससे राज्य सरकारें बदनाम होंगी। उन्हें मालिकों से डटकर लड़ना पड़ेगा। उन्हें खिलाफ 'मुर्दाबाद' के नारे लगेंगे। इसको लेकर धरने होंगे, लाठीचार्ज होंगे, हड़तालें होंगी। इसमें मजदूर मारे जाएंगे और मालिकों के साथ गड़बड़ होगी। राज्य सरकारों को एक परसेंट धनराशि मिले, ऐसा आपने प्रावधान किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित नहीं है। शेष राशि का क्या होगा? मेरे विचार में उसका दुरुपयोग होगा। भारत सरकार का दिल्ली में जो केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड है, उसका इस राशि से बहुत बड़ा भवन बनेगा। आप वहां फर्नीचर लगायेंगे, कूलर लगायेंगे, फ्रिज रखेंगे, कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे। अपनी पार्टी के किसी आदमी को उसका अध्यक्ष बना देंगे और वहां अपने कर्मचारी नियुक्त कर देंगे। मजदूरों के हित के लिए पैसा नहीं जाएगा। वह पैसा केन्द्र सरकार का भवन बनाने के काम में आएगा। राज्य सरकारों को अधिक पैसा मिले, ऐसा प्रावधान आपने नहीं किया है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मजदूरों की हालत खराब है। उनको कारखाने में पीने का पानी नहीं मिलता, वहां शौचालय नहीं है, मूत्रालय नहीं है। अगर उन्हें वहां जाने की जरूरत पड़ती है तो सड़क पर जाना पड़ता है। ऐसे में म्युनिसिपैलिटी वाले उनका चालान कर देते हैं। महिलाओं के लिए शिशु कक्ष की व्यवस्था नहीं है। उनके लिये प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था नहीं है। उनका जीवन संकटमय है। उनके हाथ, पैर और आंख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मालिकों और कर्मचारियों का एक आकस्मिक सम्बन्ध है।

(nn/1500/skb)

अस्थाई संबंध है, अनिश्चितता है क्योंकि जब मालिक चाहेगा उनको निकाल दे, इसमें उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यह भी नहीं है। मेरे जयपुर में सेठ लोगों के यहां पर मुनीम काम करते हैं। वहां जब चाहे उनको बुला लिया जाता है, चाहे रात के 12 ही क्यों न बजे हों? वह मुनीम भी तो एक प्रकार से श्रमिक ही है। उन लोगों को आधारभूत सुविधायें नहीं है, कल्याण के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं और जो हैं वे अपर्याप्त हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई कानून नहीं होने के कारण उन मजदूरों के लिये कोई फायदे की बात नजर नहीं आती है। मजदूरों की दुर्घटनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण आप यह बिल लाये हैं, यह अधूरा बिल है।

उपाध्यक्ष महोदय, 18 मई, 1995 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में श्रम

मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस तरह के कानून को लागू करने की बात कही गयी थी क्योंकि उसके पहले मजदूरों के स्वास्थ्य, कल्याण की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय यह कहा गया कि यह कानून उन कारखानों में लागू किया जायेगा जहां पर 50 या उससे अधिक मजदूर कार्य करते होंगे। इस कानून के तहत मजदूरों का वेतन 1600 रुपये प्रतिमाह तय किया गया। इस प्रकार मजदूर को जो न्यूनतम वेतन मिलना है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया। क्या एक मजदूर प्रतिदिन 50 रुपये कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सकता है जिसमें कम से 5 सदस्य हों? सरकार की तरफ से परिवार नियोजन की जो योजना चालू है, उसके अंतर्गत भी एक परिवार में चार से ज्यादा सदस्य थोड़ा न होंगे। यदि मेहमान आ जाये तो क्या उसे बाहर कर दिया जाये या उसको आने से पहले ही भेज दिया जाये? और अगर घर में जवाई आ जाये तो क्या किया जाये? उसके लिये तो मन की भावना मन में ही रहने के लिये मजबूर करें? इसलिये मेरा कहना यह है कि 1600 रुपये प्रतिमाह का वेतन इस श्रेणी में रखना मजदूर कानून के विरुद्ध है। फिर मालिक लोगों पर आपने क्या लेवी लगाई है?

उपाध्यक्ष महोदय, एक मजदूर मकान की नींव की खुदाई करता है। मालिक तो उसे खुदाई करने के लिये कहेगा और वह मजदूर मौत के मुंह में जाकर वह काम करेगा, भले ही दीवार उस पर गिर जाये। खुदाई से पूर्व तकनीकी अध्ययन कराना चाहिये। एक गरीब को दो वक्त की रोटी तो मिले। यदि यह पेट साथ नहीं होता तो वह काम नहीं करता। दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले अथवा अपंग हो जाने वाले श्रमिकों की समुचित न्यूनतम सीमा क्या होगी, इस बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। असंगठित होने के कारण उनकी समस्याओं का उचित ढंग से उपचार नहीं हो पा रहा है। आप यह बिल लाये हैं कि केन्द्रीय सलाहकार समिति बनेगी, राज्य सरकार की समिति बनेगी, विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, रजिस्ट्री करने का 60 से 90 दिन का अधिकार दिया गया है, बोर्ड में एक सचिव होगा, उनके हम लोगों की तरह आयडेंटिटी कार्ड बनेंगे। ये जो लम्बी-चौड़ी बातें इसमें कही गयी हैं, इसमें कोई अपील करना, रजिस्ट्री से मजदूरों का क्या निर्णय लेना है, सीधे-सीधे बात करने पर मजदूरों की भलाई के लिये आप बिल लाये हैं।

1504 hours (Shri P.M. Sayeed in the Chair)

सभापति महोदय, आप तो मजदूर यूनियन के संचालक रहे हैं। आपने लोकसभा और विधानसभा में कई आन्दोलन किये हैं। आप जब आन्दोलन किया करते थे तो हम भी आपके साथ होते थे। मैंने इनको देखा है, आप जरा सोच लें।

(oo/1505/hcb/rk)

यह बिल ठीक नहीं लाया गया है। जो मंत्री बने है यह भी पहले मजदूरों के आंदोलन में भाग लिया करते थे लेकिन कुर्सी पर बैठते ही इनकी भाषा बदल गई। आदमी इधर रहता है तो अच्छा रहता है और उधर जाते ही बिगड़ जाता है। हम तो इस चक्कर से बच गए लेकिन आप 13 पार्टियों की सरकार बनाकर कहते है कि भारतवर्ष को स्वर्ग बना देंगे। पहले ऐसा होता था कि जो गरीब मजदूर अच्छा काम करते थे, जो इमारतें बनाने वाले मजदूर थे, राजा-महाराजाओ के वक्त मे उनके हाथ काट दिये जाते थे। ताजमहल इसका उदाहरण है। जयपुर शहर मे मूर्तिकला का उद्योग है, कपड़े पर छपाई का उद्योग है। लाख की चूड़ियां वहां बनती है और चुनरी जिस पर बूंदी का काम होता है वह वहां बनती है और शानदार साड़ियां जयपुर में बनती है। मै कोई व्यापारी नहीं हूं और इन चीजों का प्रचार नहीं कर रहा हूं। सर्दियों में वहां एक पाव रुई की रजाइयां बनती है। उन कामो के जो अच्छे-अच्छे कारीगर है, उनके हाथ काट दिये जाते थे। ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। अखबारो में इस तरह की खबरे पढ़ने को मिलती हैं। ठेकेदार भवन-निर्माण मजदूरों का शोषण करते हैं। दिल्ली मे कई शानदार इमारतें बनी है। इनमे जो मजदूर काम करते है उन पर भी अत्याचार होते है, उनकी भी अपनी तकलीफें हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि वे मजदूर दुर्घटनाओ का शिकार हो जाते हैं, बीमारी मे उनकी दवा का प्रबंध नहीं होता। जो मजदूर दिन भर भट्टी में काम करते है उनको टीबी होने का खतरा बना रहता है। पारीख साहब डाक्टर रहे हैं, वे इस बात को जानते है। इस संबंध मे हमे विचार करना चाहिए। इस बिल को बेहतर बनाने के लिए आपको राज्य के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। राज्य और केन्द्र को आपस में भिड़ाने की बात अच्छी नहीं है। आपने कहा है कि राज्य सरकार पैसा इकट्ठा करेगी और कंसोलिडेटेड फंड मे देगी। केवल 1 प्रतिशत जो मालिकों से मिलता है, उस सैस का 1 प्रतिशत देंगे, यह राज्य सरकार के साथ घोर अन्याय है। फिर तो आप ही सीधा वसूल कर लें। इसका बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में भवन बनाने के काम में देंगे। इसलिए इस सैस की राशि को 1 प्रतिशत नही, राज्य के जितने वर्कर्स हैं, उनकी जैसी स्थिति है उस हिसाब से तय करें। राजस्थान में मजदूरों की हालत खराब है। बिहार और उत्तर प्रदेश में और खराब हो सकती है। उनकी हालत को देखते हुए आपको इस सीमा को बढ़ाना चाहिए। जिन मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, उनको ठीक से पुनर्स्थापित करें। उनकी मजदूरी और उनके काम की हम देखभाल करें। पिछड़े इलाकों से मजदूर उपनगरों या शहरों में आते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता

है। इस संबंध में सरकार विचार करे और मजदूरों के बारे में एक अलग बिल लाए। दोनों बिल आप ले आए। आपके सौ वोट आ गए और हमारे 45 ही रह गए। हमें पता नहीं था वरना हम आपको आज ही इरा देते। लेकिन आपका भाग्य अच्छा है, आपकी जन्म-पत्री ऊंची है। आप शायद गोविन्द देव जी, गोपीनाथ जी, भौम्या जी, गोगा जी को मनाते हैं, इसलिए बाल-बाल बच गए। आपको इसमें मनी बिल अलग लाना चाहिए था और यह बिल अलग लाना चाहिए था।

अंत में मेरा निवेदन है कि आप मजदूरों के हित में कंप्रीहेन्सिव बिल लाएं। ज्ञान की बातें मुझे बाद में बोलने का मौका मिलेगा। मैं भी अध्ययनपूर्वक आपकी बातें सुनूंगा और जब आप उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको मजदूरों के हित में मना लूंगा। इतनी बातें ही मुझे निवेदन करनी है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

(इति)